

ITELL

Information Technology Enabled Learning and Literacy Scheme

आईटेल

(इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी इन्एबल्ड लर्निंग एन्ड लिटरेसी योजना)

सूचना तकनीकी समर्थित शिक्षा ओर साक्षरता योजना

भूमिका :-

नित्य दिन ज्ञान के नए क्षितिज खोजे जा रहे हैं । सूचना क्रांति के युग में असमानता की खाई और बढ़ रही है । विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ग्रामीण क्षेत्र तो लगभग अछूता जैसा है । आज आवश्यकता इस बात की है कि स्कूल शिक्षा की व्यवस्था में आईटी का उपयोग न केवल शैक्षणिक उपकरण के रूप में किया जाए बल्कि कम्प्यूटर साक्षरता भी उपलब्ध कराई जाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक योजना तैयार की गई है जिसमें प्रदेश के समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षण तथा कम्प्यूटर साक्षरता की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना का नाम **Information Technology Enabled Learning and Literacy (ITELL)** होगा ।

यह योजना जनभागीदारी पर आधारित होगी । जनभागीदारी का 25 प्रतिशत अंश तथा राज्य शासन का 75 प्रतिशत अंश होगा । योजना की इकाई लागत रूपये 5.00 लाख (पांच लाख) होगी ।

2. सूचना तकनीकी के क्षेत्र में किए गए प्रयास :-

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीकी को प्रोत्साहन देने हेतु समय-समय पर कम्प्यूटर संबंधी विभिन्न योजनाएं संचालित की गईं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. क्लास प्रोजेक्ट :-

क्लास प्रोजेक्ट का पूरा नाम कम्प्यूटर लिटरेसी एन्ड स्टडी इन स्कूल है । इसके अन्तर्गत छात्रों को कम्प्यूटर साक्षरता उपलब्ध कराई गई । योजना पूर्णतः एक केंद्र प्रवर्तित योजना थी । यह योजना म.प्र. में शिक्षा सत्र 1996 – 97 से आरंभ की गई । वर्ष 97 – 98 में इसे रिवाइज्ड क्लास प्रोजेक्ट योजना का नाम दिया गया । प्रारंभिक वर्ष 1996 – 97 में 125 स्कूलों में कम्प्यूटर प्रदान किये जाने एवं वर्ष 1997 – 98 में 175 विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रदाय करने का

प्रावधान किया गया । इस प्रकार प्रारम्भिक चरणों में 300 विद्यालयों का चयन इस योजना हेतु किया गया । प्रारंभ में इस योजना में संचालनालय द्वारा निजी एजेन्सियों का चयन कर एजेन्सियों के माध्यम से विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया । वर्ष 1998 में क्लास प्रोजेक्ट का संचालन भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया गया । भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय ने प्रदेश के 345 हायर सेकण्डरी स्कूल में क्लास प्रोजेक्ट योजना संचालित की । छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद इस योजना का प्रदेश के 258 विद्यालयों में संचालन किया गया ।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन आई.सी.टी.

@ स्कूल योजना के रूप में किया जा रहा है ।

2. आई.सी.टी. @ स्कूल योजना :-

आई.सी.टी. @ स्कूल योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । इस योजना में प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हायर सेकण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर एडेड एज्युकेशन से शिक्षा प्रदान की जानी है । तीन वर्षों में 1200 विद्यालयों में यह योजना क्रियान्वित की जाएगी । इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में वर्ष 2006-07 के लिए प्रदेश के 230 विद्यालयों हेतु 15.41 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है । इसमें से केन्द्रांश के रूप में रूपये 11.50 करोड़ एवं राज्यांश के रूपये 3.91 करोड़ है । योजना के अंतर्गत स्कूलों का चयन कर लिया गया है । हार्डवेयर क्रय, सॉफ्टवेयर निर्माण एवं शिक्षक प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही हैं ।

3 ज्ञानोदय योजना:-

राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के हाई एवं हायरसेकण्डरी विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण वर्ष 1999 से प्रारंभ किया गया है । कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार – प्रसार दूरस्थ अंचलों तक हो सके इस हेतु योजना के प्रारम्भिक चरण में इस योजना को उन विद्यालयों में लागू नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसमें क्लास एवं क्लैप परियोजना संचालित है । इसके अंतर्गत प्रदेश के हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने हेतु खुली निविदा के माध्यम से मेसर्स आई.ई.सी.सॉफ्टवेयर लिमिटेड नई दिल्ली को अनुबंधित किया है । कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजना का नाम ज्ञानोदय

परियोजना रखा गया है । प्रत्येक छात्र से रूपये 54/- के शुल्क लेकर सम्पूर्ण हार्ड वेयर , साफ्ट वेयर एवं फेकल्टी व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी एजेन्सी की थी । शासकीय विद्यालयों द्वारा भवन / परिसर में विद्युत आपूर्ति युक्त लगभग 400 वर्गफुट स्थान कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के लिए एजेन्सी को निः शुल्क उपलब्ध कराया गया ।

प्रदेश के लगभग 565 विद्यालयों में यह योजना संचालित की गई जिनमें शहरी क्षेत्रों में मात्र 55 विद्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 510 विद्यालयों लाभान्वित हुए । निजी निवेशकों द्वारा आगामी वर्षों हेतु अनुबंध न करने के कारण एवं अधिकांश विद्यालयों में इसके सफल क्रियान्वन न होने के कारण यह योजना आगे संचालित नहीं हो सकी ।

4. व्यवसायिक शिक्षा अर्न्तगत कम्प्यूटर की शिक्षा :-

नई शिक्षा नीति वर्ष 1986 के तहत कक्षा 11 वीं तथा 12 वीं कक्षा के छात्रों हेतु व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ की । इस योजना में छात्र जिस विद्या में रुचि एवं दक्षता रखते हैं उनमें से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं । कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन को भी एक विषय के रूप में व्यवसायिक शिक्षा के अर्न्तगत सम्मिलित किया गया है । वर्तमान में यह पाठ्यक्रम प्रदेश के लगभग 100 विद्यालयों में संचालित है तथा इस योजना में प्रवेश हेतु छात्र को कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है अन्य किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । कक्षा 12 वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अन्य विषयों के छात्रों के समान ही आयोजित की जाती है । परंतु इसका क्रियान्वन प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है । इसमें छात्र को मुख्य धारा से हटकर केवल व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करनी होती है तथा इसमें दो वर्ष का समय लगता है जबकि वर्तमान में कम्प्यूटर की अनेकों ऐसी योजनायें हैं जिसमें कम समय में एवं मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है ।

5. सी.सी.ए.एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम :-

क्लास परियोजना के पुनरीक्षण करने के पश्चात 27 उत्कृष्ट विद्यालयों को पूर्ण रूप से सुसज्जित कर कम्प्यूटर लेब उपलब्ध कराई गई तथा इन विद्यालयों में सी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित किए गये । यह पाठ्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक रखा गया तथा भोज विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से एक निर्धारित शुल्क लिया गया । छात्रों को प्रशिक्षण देने हेतु दो शिक्षक भोज

विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये । भविष्य में कम्प्यूटर की उपलब्धता होने पर इसे अन्य विद्यालयों में लागू किया जा सकेगा ।

3. योजना का उद्देश्य :-

आईटेल(इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी इन्एबल्ड लर्निंग) योजना का मुख्य उद्देश्य शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों के बच्चों को कम्प्यूटर आधारित शिक्षण उपलब्ध कराना तथा उन्हें कम्प्यूटर साक्षर बनाना है। प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :-

- कम्प्यूटर आधारित शिक्षण प्रदान करना ।
- बच्चों को कम्प्यूटर साक्षरता उपलब्ध कराना ।
- विषयों के कठिन बिन्दुओं के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध कराना ।
- इंटरनेट का उपयोग करना सिखाना ।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ।
- छात्रों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना ।
- कमजोर छात्रों को आगे बढ़ाना ।
- शिक्षकों को अद्यतन ज्ञान एवं अध्यापन की नवीनतम तकनीकों का ज्ञान इंटरनेट एवं सी.डी.के माध्यम से उपलब्ध कराना ।
- दूरस्थ अंचलों में निवासरत छात्रों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना ।
- छुपी हुई प्रतिभा को खोजना ।

यह योजना आई.सीटी.@ स्कूल योजना की पूरक योजना के रूप में कार्य करेगी। जिन स्कूलों को आई.सीटी.@ स्कूल योजना के अर्न्तगत लाना संभव नहीं होगा वहां इस योजना को लागू किया जाएगा ।

उदाहरणार्थ:- आई.सीटी.@ स्कूल योजना में शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के लिए राशि का प्रावधान नहीं है । शहरी क्षेत्रों में बूट (BOOT) मॉडल से शिक्षा देने का समावेश योजना में है। पूर्व में यह प्रयोग ज्ञानोदय योजना के रूप में लागू किया गया था परंतु इसमें वांछित सफलता हासिल नहीं हुई। अतः ऐसे स्कूलों में **ITELL** योजना लागू की जाएगी ।

4. योजना का स्वरूप :-

आईटेल योजना संचालित विद्यालयों में एक कम्प्यूटर लेब स्थापित होगी। कम्प्यूटर लेब में निम्नानुसार सामग्री होगी :-

1. कम्प्यूटर – दस
2. यू.पी.एस.-10
3. एल.सी.डी. प्रोजेक्टर (LCD)

4. एक प्रिंटर
5. सॉफ्टवेयर एवं सी.डी.
6. फर्नीचर— 10 कम्प्यूटर टेबल एवं 30 चेयर/ स्टूल
7. टेलीफोन एवं इंटरनेट कनेक्शन
8. कम्प्यूटर स्टेशनरी ।

योजना की इकाई लागत तथा इकाई व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार हैं ।

सूचना तकनीकी समर्थित शिक्षा के साथ-साथ विद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कम्प्यूटर साक्षरता का भी कार्यक्रम मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय एवं एन.आई.आई.टी जैसी अन्य संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाएगा । इन एजेन्सियों के द्वारा कम्प्यूटर से संबंधित सार्टिफिकेट कोर्स भी चलाये जाएंगे । फेकल्टी व पठन सामाग्री की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा की जाएगी । सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तरदायित्व भी संबंधित एजेन्सियों को होगा ।

5. एडुसेट :-

सेटेलाइट के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नया सेटेलाइट ' एडुसेट ' स्थापित है । अतः एडुसेट का उपयोग भी योजना अर्न्तगत किया जाना प्रस्तावित हैं । इसके लिए विद्यालयों में स्व वित्तीय साधनों से आर.ओ.टी. स्थापित किया जाएगा । भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से समन्वय कर एडुसेट से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । एडुसेट से प्रसारित होने वाली सामग्री की सी.डी. या विशेषज्ञों आदि की व्यवस्था लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा की जाएगी ।

6. वित्तीय संसाधन :-

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि की व्यवस्था निम्नानुसार की जाएगी:-

आईटेल योजना जनभागीदारी द्वारा संचालित की जाएगी । यदि किसी विद्यालय का पालक शिक्षक संघ योजनान्तर्गत जनभागीदारी से 25 प्रतिशत राशि व्यय करता है तो विभाग के द्वारा उस विद्यालय को 75 प्रतिशत उपलब्ध कराई जायेगी । विभागीय बजट में राज्य योजना के रूप में 75 प्रतिशत राशि का बजट प्रावधान किया जाएगा ।

स्कूल में योजना स्व वित्तीय पोषित होगी । पालक शिक्षक संघ इस योजना के अंतर्गत शुल्क निर्धारित कर सकेगा । यह शुल्क विद्यालय में कम्प्यूटर

का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक के मानदेय तथा योजना में आवर्ती व्यय पर व्यय किया जाएगा।

शिक्षक की व्यवस्था :-

विद्यालयों में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु कम्प्यूटर शिक्षक की व्यवस्था पालक शिक्षक संघ द्वारा की जाएगी। एक स्कूल में दो शिक्षक रखे जायेंगे। शिक्षकों की योग्यता MCA/ MCM/ PGDCA या समकक्ष योग्यता होगी।

मानदेय के रूप में प्रति शिक्षक को पालक शिक्षक संघ के द्वारा रूपये 2500 प्रतिमाह प्रति शिक्षक दी जाएगी। पालक शिक्षक संघ स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इस राशि का पुर्ननिर्धारण कर सकेगा।

7. शैक्षिक सॉफ्टवेयर की उपलब्धता :

आई.सी.टी @ स्कूल योजनान्तर्गत संचालनालय स्तर पर एक आई.टी. सेल का गठन किया गया है। इस सेल के द्वारा तैयार किए गए शैक्षिक सॉफ्टवेयर को प्रदेश के समस्त विद्यालयों हेतु प्रदाय किया जाएगा। विद्यालय इसका उपयोग दिए गए निर्देशानुसार करेंगे। आवश्यकता अनुसार स्थानीय रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर को विद्यालय क्रय कर सकेंगे।

8. शिक्षक प्रशिक्षण :-

आइडेल योजनान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय से सभी शिक्षकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण एजेन्सी का चयन करने हेतु भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय एवं अन्य एजेन्सियों में से चयन किया जाएगा। शिक्षकों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा:-

1. कम्प्यूटर की बुनियादी जानकारी।
2. शिक्षण सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी।
3. कम्प्यूटर आधारित शिक्षा की आवश्यकता।
4. कम्प्यूटर साक्षरता की आवश्यकता।
5. इन्टरनेट का उपयोग।
6. नेतृत्व क्षमता का विकास।

9 मानीटरिंग :-

सूचना तकनीकी समर्थित शिक्षा का क्रियान्वयन संबंधी समस्त व्यवस्था की निरंतर मानीटरिंग की नितांत आवश्यकता है। अतः इस योजना के

क्रियान्वयन की स्थिति की सतत मानीटरिंग लोक शिक्षण संचालनालय के आई.टी.सेल द्वारा की जाएगी।

10. योजना का क्रियान्वयन :-

योजना का क्रियान्वयन उन विद्यालयों में किया जाएगा जहां आई.सी.टी.@ स्कूल योजना प्रभावशील नहीं होगी या आई.सी.टी.@ स्कूल योजनान्तर्गत शामिल करना संभव नहीं होगा। चूंकि आई.सी.टी.@ स्कूल योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र के स्कूल शामिल नहीं हैं अतः इन क्षेत्रों के स्कूलों तथा अद्योसंरचना युक्त अन्य हाईस्कूलों तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों में यह योजना लागू की जाएगी।

कम्प्यूटर लेब का स्वरूप

क्र.	उपकरण का नाम	संख्या	दर (अनुमानित)	कुल लागत
1	कम्प्यूटर	10	35000	3,50,000
2	यू.पी.एस.	10	25,00	25,000
3	एल.सी.डी.प्रोजेक्टर. (LCD)	1	70000	70,000
4	प्रिंटर	1	10,000	10,000
5	सॉफ्टवेयर व अन्य पाठ्य सामाग्री		10,000	10,000
6	फर्नीचर	10 टेबल, 30 चेयर/ स्टूल	प्रति टेबल रूपये 1000, प्रति चेयर/ स्टूल रूपये 200	16,000
7	टेलीफोन व इंटरनेट कनेक्शन		टेलीफोन एवं इंटरनेट कनेक्शन	5000
8	शिक्षक प्रशिक्षण	समस्त शिक्षक		5,000
9	कम्प्यूटर स्टेशनरी एवं अन्य नैमेतिक व्यय			9,000
	कुल अनुमानित व्यय			5,00,000